International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 612-614

तुजुक–ए–बाबरी एवम् तुजुक–ए–जहांगीरी का तुलनात्मक अध्ययन : प्रशासनिक व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में

नरेश कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, हरियाणा, भारत।

सारांश
मुगलकालीन इतिहास के स्त्रोत के रूप में मुगलशासकों की आत्मकथाओं का अपना एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी दरबारी इतिहासकार बादशाह के कितना ही करीब क्यों न हो वह उसकी कार्यप्रणाली और योजनाओं का मूल्यांकन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकता जितना बादशाह स्वयं कर सकता है। इसलिए बाबर की आत्मकथा तुजुक–ए–बाबरी और जहांगीर की आत्मकथा तुजुक–ए–जहाँगीरी मुगलकालीन इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं।
हिन्दुस्तान विजय के बाद मुगलों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के सन्दर्भ में थी। मुगल बादशाह यह भली भांति जानते थे कि सुदृढ़ शासन व्यवस्था के बिना वे हिन्दुस्तान में अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर सकते। हमें दोनों बादशाहों के समय के प्रशासन पर भी परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि बाबर के लिए हिन्दुस्तान एक नया देश था, जहां की भाषा, लोग सब कुछ उसके लिए नया था, साथ में बाबर को अपने अस्थाई साम्राज्य के खो जाने का खतरा था। जबकि जहांगीर के लिए हिन्दुस्तान कोई नया देश नहीं था और उसे यह प्रशासन अपने पिता से सुदृढ़ अवस्था में विरासत में प्राप्त हुआ था। अतः इन सब परिस्थितियों का प्रभाव उनके प्रशासन पर देखने को मिलता है। प्रस्तुत शोध पत्र में मुगलशासकों की आत्मकथाओं को आधार बनाकर मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्द : इतिहास, आत्मकथा, मुगलकाल, बाबर, जहांगीर, तुजुक–ए–बाबरी, तुजुक–ए–जहाँगीरी, प्रशासनिक व्यवस्था

परिचय
सामान्य तौर पर इतिहासकारों की धारणा है कि बाबर एक कुशल प्रशासक नहीं था। रशब्रुक विलियम इस धारणा की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बाबर में विजेता के गुण थे न कि एक कुशल प्रशासक के।[1] लेकिन बाबरनामा के सुक्ष्म अध्ययन से ज्ञात होता है कि तात्कालिक वातावरण में रहकर, जो उस समय के अनुकूल था, और जितना समय बाबर के पास था, प्रशासन के क्षेत्र में उतना प्रयास उन्होंने अवश्य किया।
हालांकि फरगना काल मे हमें बाबर की प्रशासनिक क्षमता का कोई आभास नहीं होता जिसका जिक्र किया जा सके लेकिन साथ में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि उस समय बाबर की आयु भी कम थी और उसके जीवन का दौर भी संघर्षमयी था। लेकिन काबुल विजय के बाद प्रशासन के सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें उनकी आत्मकथा से मिलती है। काबुल में रहकर बाबर को दो बातों की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रथम यह कि यहाँ के देशवासियों पर किसी न किसी तरह से प्रभुत्व स्थापित किया जाए और दूसरा यह कि अमीरों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वे उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। काबुल में रहकर बाबर ने यह भी जान लिया था कि यह तलवार का देश है लेखनी का नहीं।[2]
अपने अमीरों व काबुल के निवासियों पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने के लिए बाबर को एक केन्द्रीय प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे प्रशासन की शुरूआत बाबर ने 1507 में पादशाह [3] की उपाधि धारण करके की, जो बाबर से पहले किसी तैमूरी ने धारण नहीं की थी।[4] बाबर ऐसा करके अपनी सर्वोच्चता दिखाना चाहता था। काबुल विजय के बाद बाबर ने वहां की ईकाइयों को ज्यों का त्यों बनाए रखा और काबुल राज्य को तुमान बलूचों व उरचीन में बटां रखने दिया। इससे ज्यादा प्रशासनिक ईकाइयों के बारे में बाबर कोई सूचना नहीं देता।[5] काबुल का राज्य बाबर ने मिर्जा व अतिथि बेगों में जागीर के रूप में बांट दिया।[6] और निजामुदीन खलीफा को अपना वजीर नियुक्त किया जो बाजौर, पानीपत, खानवा व चन्देरी के युद्धों में भी बादशाह की सेवा में था।[7]
हिन्दुस्तान विजय के बाद बाबर ने अपने आपको ऐसे देश मे पाया जिसके लोगों, परम्पराओं से वह अनजान था स्वयं बाबर के शब्दों में, ''हमारा सामना एक अपरिचित कौम से था जो न हमारी भाषा समझते हैं और न हम उनकी।''[8] अतः बाबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्था पहले से हिन्दुस्तान में मौजूद थी उसी को बनाए रखा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका राज्य जो अभी सुदृढ़ नहीं था खतरे में पड़ जाए इसलिए परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए पुरानी शासन व्यवस्था को ही बनाए रखा।
बाबर ने हिन्दुस्तान के उन प्रदेशों को जो उसके हाथ में थे इस समझौते पर बांट दिया कि प्रत्येक अमीर अपनी सरकार में शान्ति व व्यवस्था बनाए रखे।[9] विभिन्न प्रदेशों को पूर्णरूप से अधिकार में करने तथा वहां पर शान्ति स्थापित करने के लिए इक्तादार व शिकदार की नियुक्ति की गई और कुछ प्रदेश खालसा में शामिल कर लिये गये।[10] यदपि हमें बाबर के प्रशासन के बारे में अधिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता परन्तु उनकी आत्मकथा से हमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों, जैसे बख्शी और दीवान शब्द का उल्लेख अवश्य मिलता है जिसके नाम का प्रयोग बाबर 1525 में सिन्ध नदी पार करने की तैयारी करते हुए सेना की गणना हेतु आदेश देते हुए करता है।[11] बकावल व शेख जैन सद्र का उल्लेख भी बाबर के प्रशासन के सन्दर्भ में मिलता है।[12]
बाबर प्रशासन की सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए लोगों की शिकायतें व मत जानने के लिए सोमवार को दरबार लगाता था।[13] बाबरनामा से हमें न्याय के बारे में विस्तृत उल्लेख प्राप्त नहीं होता। परन्तु

दण्ड दिए जाने के कुछ उल्लेख अवश्य प्राप्त होते हैं। बाबर को विष दिए जाने की घटना को लेकर बाबर ने बकावल के टुकड़े–टुकड़े करवा दिए थे तथा बावरची की जीवित अवस्था में खाल खिंचवा दी गई व एक स्त्री को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया, दूसरी को तोप के मुंह पर रखकर उड़वा दिया गया। यह कथन सिद्ध करता है कि दण्ड व्यवस्था कितनी कठोर थी।[14] बाबर ने हिन्दुस्तान में प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन भी किया। बाबर ने घंटा बजाने की प्रथा में परिवर्तन किया और आदेश दिया कि, ''रात्रि व बदली में घड़ी के उपरान्त पहर भी बजाया जाए।[15]

उपर्युक्त कथन सिद्ध करते हैं कि बादशाह ने प्रशासन के मामले में भी हर संभव प्रयास किया था। लेकिन बाबर अपने बेटे हुमायूं के लिए कोई सुदृढ़ प्रशासन तत्र विरासत में नहीं दे पाया और हुमायुँ भी इस प्रशासनिक अव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाया। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को तीन मुख्य विभागों में विभाजित किया दौलत, सादात और मुराद।[16]

हुमायूँ की मृत्यु के बाद अकबर कम उम्र में गद्दी पर बैठा तब उसके सामने भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या एक सुदृढ़ प्रशासनिक तन्त्र को खड़ा करने की थी। अकबर ने इस चुनौती का सामना करते हुए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। अकबर ने सर्वप्रथम वकील की शक्तियों का दमन कर वजीर मीर बख्शी, मीर सामान और सद्र–उस–सुदूर नामक चार महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की। प्रान्तीय और स्थानीय स्तर पर भी इसी प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति कर उसने अपने पुत्र जहांगीर को एक सुदृढ़ व केन्द्रीयकृत प्रशासन तंत्र दिया जो जहांगीर के समय समान रूप से चलता रहा।[17]

इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल के प्रशासन को जानने के लिए उनकी आत्मकथा तुजुक–ए–जहांगीरी एक अमूल्य कृति है। जहांगीर के राज्य प्रशासन की प्रथम जानकारी हमें उनकी उन 12 घोषणाओं से होती है, जो बादशाह ने अपनी गद्दीनशीनी होते ही जारी की थी। इन घोषणाओं के अनुसार न केवल तमगा व मीर बहरी [18] कर हटा दिए उत्तराधिकार (संपत्ति का उत्तराधिकार) संबंधी नियम भी जारी कर दिए गए।

इन नियमों में प्रशासन संबंधी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नियम यह था कि अकबर के समय से चले आ रहे अधिकारियों के पद और जागीरें न केवल बरकरार रखी गई बल्कि उनमे 20 से 40: की वृद्धि कर दी गई। उदाहरण के लिए मुनीम खाँ को वजीर व फतोतुल्ला को बख्शी बना रहने दिया गया। [19] जहांगीर को इतिहास में एक न्यायकारी सम्राट के रूप में जाना जाता है। जहांगीर ने गद्दीनशीनी होने के बाद आगरा में महल के बाहर एक सोने की 30 गज लम्बी जिसमें 60 घण्टियाँ लगी हुई थी जंजीर लगवाई जिसे न्याय की जंजीर कहा गया है ताकि कोई फरियादी सीधे बादशाह से न्याय प्राप्त कर सके।[20]

समकालीन विदेशी यात्री विलियम हाकिन्स (1608–1613) भी अपने यात्रा वृतान्त मे जहांगीर के दरबार में लगी न्याय की जंजीर की चर्चा करते हैं।[21] हाँलाकि दण्ड व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी क्योंकि जहांगीर ने अपनी 12 घोषणाओं में यह भी घोषणा की थी कि किसी अपराधी का अंग न काटा जाए [22] परन्तु इसके बावजूद उनके शासनकाल के सातवें वर्ष की घटना में चोरी करने के अपराध में अपराधी के प्रत्येक बार अंग काट दिए जाने का उल्लेख भी पाते हैं।[23]

किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता था। इसका अनुमान जहांगीर द्वारा कही गई इस बात से लगाया जा सकता है, जब शहजादे खुसरो का अपने पिता जहांगीर के विरूद्ध विद्रोह करने पर अमीर–उल–उमरा को बादशाह ने आदेश दिया था कि खुसरो के साथ कोई नरमी न बरती जाए क्योंकि, ''बादशाह के लिए न कोई पुत्र है न दामाद''[24] इसी प्रकार खुसरो की मदद करने वाले हुसेन बेग व अब्दुर्रहीम को बैल व गधे के चमड़े में सिलवा दिया था।[25] यह कथन सिद्ध करता है कि न्याय व्यवस्था कितनी अधिक कठोर थी।

जहांगीर की दिनचर्या का उल्लेख हमें उनकी आत्मकथा में कहीं–कहीं बिखरे हुए रूप में मिलता है। इस संदर्भ में भी उन्होंने अपने पिता अकबर के आदर्शों का अनुकरण किया दिखाई पड़ता है।

राज्य के संचालन व संगठन के लिए जहांगीर हर मंगलवार को दरबार लगाते थे जहाँ हर वर्ग के लोगों की शिकायते सुनी व हल की जाती थी। प्रत्येक सुबह जहांगीर अकबर की भांति झरोखा दर्शन [26] देते थे। यह भी जनता से समीपता बनाए रखने का एक माध्यम था। [27] झरोखा दर्शन की महत्वता को समझते हुए जहांगीर ने इसे अपनी बीमारी के दिनों में भी जारी रखा। [28] तुजुक–ए–जहांगीरी से हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि बादशाह दिवान–ए–आम की बैठक लगाता था जिसके पहले कटघरे में अमीर मनसबदार व प्रतिष्ठित लोग, दूसरे कटघरे में छोटे मनसबदार, अहदी, काम करने वाले लोग व उससे बाहर अमीरों के सेवक व दीवान खाने में आने वाले सभी लोग खड़े होते थ।[29] बादशाह दीवान–ए–खास में भी बैठक लगाता था।

जहांगीर ने इस संदर्भ में 'गुसलखाना' शब्द का प्रयोग किया है। यह वह स्थान है जहाँ आम लोग नहीं जा सकते केवल केवल बादशाह के मंत्री व प्रतिष्ठित लोग ही जा सकते थे। वहाँ पर राज्य के प्रशासनिक व वित्त संबंधी मामलों पर विचार किया जाता था।[30] समकालीन विदेशी यात्री पेल्सर्ट बताते हैं कि बादशाह शाम को शिकार के बाद गुसलखाने में जाते थे और अनुरोध करने पर अजनबियों से भी निजी कक्ष में बात कर ली जाती थी।[31]

पेल्सर्ट अपनी रिपोर्ट में यह भी बताते हैं कि राज्य मे कोई लिखित कानून नहीं होता था। बादशाह व काजी द्वारा कही गई बात ही कानून होती थी। पेल्सर्ट यह भी बताते है कि प्रत्येक शहर में एक कचहरी होती थी जहाँ पर गर्वनर, दीवान, बख्शी, कोतवाल व काजी सप्ताह में चार दिन इक्ट्ठे बैठते थे और मामलों की सुनवाई करते थे।[32] जहांगीर ने प्रशासन की सुदृढ़ता के लिए जागीर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए।

जहांगीर ने बख्शियों को आदेश दिया कि अगर कोई अधिकारी अपने जन्म स्थान को अपनी जागीर बनाना चाहे तो उसकी जागीर को उसकी सम्पत्ति बना दिया जाये और साथ में यह भी आदेश दिया कि जागीर सम्बन्धी इन फरमानों पर लाल स्याही की मोहर की बजाय सुनहरी स्याही का इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार की जागीरों को अलतमगा जागीर कहा गया।[33]

प्रशासन की सुदृढ़ता के लिए अच्छे सैन्य संचालन का होना भी बहुत जरूरी बात है। बाबरनामा व तुजुक–ए–जहांगीरी दोनों ही आत्मकथाओं से हमें सैन्य व्यवस्था के बारे में उल्लेख प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस तरह जहांगीर को एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है उसी तरह बाबर को विजेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तुजुक–ए–जहांगीरी की अपेक्षा बाबरनामा से सैन्य संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। बाबर की विजयों का श्रेय उसके अच्छे सैन्य संचालन को भी जाता है।

बाबर ने पहली बार भारतीयों को बाजौर में बन्दुकों से परिचित करवाया [34] बाबर की आत्मकथा से उल्लेख प्राप्त होता है कि बाबर ने हिन्दुस्तान को एक ऐसी युद्ध पद्धति से अवगत करवाया जो इससे पहले हिन्दुस्तान में नहीं थी। बाबर ने हिन्दुस्तान में पहली

बार पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग, तुलगुमा व रूमि पद्धति का प्रयोग किया जिसका संचालन उस्ताद अली कुली व मुस्तफा नामक दो आटोमन तुर्क कर रहे थे।[35]

बाबर यह अनुभव मध्य एशिया से लेकर आया था। बाबर यह भली–भाँति जानता था कि सफलता का मूल मन्त्र तोपखाना है। बाबर हिन्दुस्तान को इब्राहीम लोदी की सेना की आलोचना करता है कि हिन्दुस्तान मे यह प्रथा है कि महान संकटों के अवसर पर धन देकर, इच्छानुसार सेना भर्ती कर ली जाती है। उनकी सेना को किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता–न बढ़ने का, न खड़े रहने का, न युद्ध करने का।[36]

बाबर प्रत्येक युद्ध से पहले परामर्श गोष्ठी भी आयोजित करता था और पुलों की व्यवस्था पर भी ध्यान देता था।[37] बाबर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अद्‌भुत निरीक्षण शक्ति का परिचय भी अपनी आत्मकथा में देता है। तुजुक–ए–जहांगीरी से भी सेना की सुदृढ़ता के लिए उल्लेख प्राप्त होता है। जहांगीर ने अपने पिता द्वारा चलाई गई मनसबदारी व्यवस्था में दुह–अस्पा व सिंह–अस्पा का नया पद जोड़ दिया जिसमें सैनिकों का जात मनसब बढाए बिना सवार मनसब बढ़ा दिया जाता था।[38] जहांगीर के शासन काल में शस्त्रगारों में बड़ी मात्रा मे तोपें व तोपों की गाड़ियाँ सदैव तैयार रहती थी। इसका पता हमें जहांगीर द्वारा पतरदास नामक मीर आतिश [39] को दिए गए आदेश से चलता है कि हर वक्त राज्य में 5000 तोंपे व 3000 तोंप की गाड़ियां तैयार रखे।[40]

सन्दर्भ :

1. एल. एफ. रशब्रुक विलियम, एन एम्पायर बिल्डर्स ऑफ द सिक्सिटिंथ सेंचुरी, एस. चांद एण्ड कोर्पोरेशन, दिल्ली, 1922 पृष्ठ– 161
2. बाबर, जहीरूद्‌दीन मुहम्मद बाबर, बाबरनामा (मेमवार्स ऑफ बाबर), अनु. ए. एस. बेवरिज, भाग–1, लो प्राइस पब्लिकेशन, दिल्ली, पुनर्मुद्रित 1989 पृष्ठ– 228
3. 'पाद' का अर्थ है 'स्थायित्व' तथा 'अधिकार' और 'शाह' का अर्थ है 'मूल' तथा 'स्वामी'। अतः सम्राट स्थायित्व तथा अधिकार का मूल स्वामी है।
4. बाबर, बाबरनामा, भाग–1, पृष्ठ– 344
5. उपरोक्त, पृष्ठ– 207
6. बाबर, बाबरनामा, भाग–1 : 227
7. मोहबुल हसन, बाबर फॉउन्डर ऑफ द मुगल एम्पायर, मनोहर पब्लिकेशन, नई, दिल्ली, 1985 पृष्ठ–163
8. बाबर, बाबरनामा, भाग–2, पृष्ठ– 470
9. रशब्रुक, एन एम्पायर बिल्डर्स पृष्ठ– 161
10. सैयद अहतर अब्बास रिजवी, मुगलकालीन भारत (बाबर), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृष्ठ– 44
11. बाबर, बाबरनामा, भाग–2, : 451 बख्शी : बख्शी का कार्य सेना की भर्ती, निरक्षण वेतन के भुगतान का प्रबन्ध करना, दीवान : दीवान का कार्य राज्य के वित्त विभाग की जिम्मेदारी,
12. मोहीबुल हसन, बाबर फॉउन्डर ऑफ द मुगल एम्पायर : 166, 168 बकाबल, शाही रसोई घर में बादशाह के लिए भोजन चखने वाला, सद्र : न्याय विभाग का प्रधान
13. बाबर, बाबरनामा, भाग–2, पृष्ठ– 516–517
14. बाबर, बाबरनामा, भाग–2 पृष्ठ– 543
15. उपरोक्त पृष्ठ– 516–517
16. आर० पी० त्रिपाठी, सम आस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिसट्रेशन, सैन्डल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1992, पृष्ठ– 229
17. इब्ने–हसन, मुगल साम्राज्य का केन्द्रीय ढांचा, अनु. कृपाल चन्द्र यादव, ग्रन्थ शिल्पी, नई दिल्ली, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, 1997, पृष्ठ– 169–231
18. तमगा : सीमा शुल्क अथवा चुंगी कर, मीर बहरी : जलमार्ग पर लगने वाला कर
19. नुरूद्‌दीन जहांगीर, द तुजुक–ए–जहांगीरी, अनु0 अलेक्जैण्डर रोजर्स, सम्पादित हेनरी बेवरीज, लो प्राईस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रित, 1989, भाग–1, पृष्ठ– 7–10
20. उपरोक्त, पृष्ठ– 7
21. विलियम हाकिन्स, अर्ली ट्रेवल्स इन इण्डिया, सम्पादित विलियम कोस्टर, लो प्राईस पब्लिकेशन, दिल्ली, पुनर्मुद्रित, 2007 पृष्ठ– 113
22. जहांगीर, तुजुक, भाग–1, पृष्ठ– 8
23. उपरोक्त पृष्ठ– 432
24. उपरोक्त, पृष्ठ– 52
25. उपरोक्त, पृष्ठ– 68–69
26. (झरोखा दर्शन एक प्राचीन हिन्दू परम्परा थी, जिसमें शासक बाकलनी से अपनी प्रजा को दर्शन देता था। इस परम्परा को अकबर ने अपनी शासकीय आचारों में शामिल कर लिया था, जिसका बाद में उसके उत्तराधिकारी बादशाह भी इसका अनुकरण करते आ रहे थे।)
27. डॉ० बेनी प्रसाद, हिस्ट्री ऑफ जहांगीर पृष्ठ– 88
28. जहांगीर, तुजुक, भाग–1 पृष्ठ– 266
29. उपरोक्त, पृष्ठ– 242
30. सर जादूनाथ, सरकार, मुगुल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरियन्टल लोंगमैन, नई दिल्ली, 1972 पृष्ठ– 14; जहांगीर, तुजुक, भाग–1, पृष्ठ– 337; इब्ने हसन, मुगल साम्राज्य का केन्द्रीय ढांचा पृष्ठ– 60
31. फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, जहाँगीर्स इंडिया : रोमन्स्ट्रेटी ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, अनु. डब्ल्यू. एच. मोरलैंड एण्ड पी. गाईल, एच. हैफर एण्ड सन्स लि0, कैम्ब्रिज, 1925 पृष्ठ– 53
32. पेल्सर्ट, जहाँगीर्स इंडिया, पृष्ठ– 57
33. जहांगीर, तुजुक, भाग–1, पृष्ठ– 23
34. बाबर, बाबरनामा, भाग–1, पृष्ठ– 368
35. उपरोक्त, भाग–2, पृष्ठ– 468–471
36. उपरोक्त, पृष्ठ– 470
37. उपरोक्त, पृष्ठ–468
38. जहांगीर, तुजुक, भाग–2, पृष्ठ– 1
39. मीर आतिश : सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला अधिकारी।
40. जहांगीर, तुजुक, भाग–1, पृष्ठ– 23